



राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रामसर  
पीठासीन अधिकारी :- श्री राम लाल मीणा आर.ए.एस.  
राजस्व आवेदन संख्या - 212/2025

उनवान

प्रार्थी

विप्रार्थी

1. हामिद पुत्र अब्दुलाई जाति मुसलमान  
निवासी तामलियार तहसील रामसर  
जिला बाडमेर।

1. तहसीलदार रामसर।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू-राजस्व अधिनियम वास्ते राजस्व रेकॉर्ड में नाम दुरस्तीकरण  
दिनांक 06.05.2026  
राजस्व आवेदन संख्या - 212/2025 निर्णय



प्रार्थी अधि.- श्री मदनसिंह भाटी  
संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी के वकील श्री मदनसिंह भाटी द्वारा राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मौजा हाजी खान का तला पटवार मण्डल सेतराऊ तहसील रामसर के खसरा संख्या क्रमशः 288, 405 रकबा क्रमशः 3.6988, 5.3985 हैक्टेयर, एवं तामलियार पटवार मण्डल सेतराऊ के खसरा संख्य क्रमशः 53, 77, 148, 705/78, 78 886/108, 987/108, 988/108, 989/108 रकबा क्रमशः 7.1225, 4.6782, 12.0434, 2.8004, 1.7806, 1.6026, 9.3373, 5.3208, 0.2100 हैक्टेयर की भूमि प्रार्थी की खातेदारी की पैतृक व सयुक्त खातेदारी भूमि आई हुई है। प्रार्थी की सहखातेदारी की भूमि मौजा हाजीखान का तला के खसरा नंबर 288, 405 आये हुये हैं जिसमें प्रार्थी का नाम हमीदला पुत्र अब्दुला हिस्सा 1/10 का अंकन है इसी प्रकार मौजा तामलियार के खसरा नंबर 53, 177 में प्रार्थी का नाम हमीबुला पुत्र अब्दुला हिस्सा 1/4 दर्ज है व मौजा तामलियार के खसरा नंबर 148 में प्रार्थी का नाम हमीदला पुत्र अब्दुला हिस्सा 1/10 दर्ज है तामलियार के खेत खसरा नंबर 705/78, 78 में प्रार्थी का नाम हमीबुला पुत्र अब्दुला हिस्सा 1/2 दर्ज है इसी प्रकार तामलियार के खसरा नंबर 886/108, 987/108, 988/108, 989/108 में प्रार्थी का नाम हमीबुला पुत्र अब्दुलाई हिस्सा 1/60 अंकन कर दिया है। जबकि राज्य सरकार एवं भारत सरकार द्वारा जारी दस्तावेज मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जन आधार कार्ड, राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड व अन्य शैक्षणिक दस्तावेजों में हामिद पुत्र अब्दुलाई जाति मुसलमान निवासी तामलियार तहसील रामसर दर्ज है। हमीबुला पुत्र अब्दुलाई, हमीबुला पुत्र अब्दुला व हमीदला पुत्र अब्दुला, हमीदला पुत्र अब्दुला आदि नामों का प्रार्थी एक ही व्यक्ति हैं। राजस्व रेकॉर्ड एवं सरकार द्वारा जारी दस्तावेजों में नाम की भिन्नता होने से सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्वकांक्षी योजनाओं का प्रार्थी को लाभ नहीं मिल पा रहा है। राजस्व रेकॉर्ड में प्रार्थी का नाम अब्दुलाई, हमीबुला पुत्र अब्दुला व हमीदला पुत्र अब्दुला, हमीदला पुत्र अब्दुला के स्थान पर हामिद पुत्र अब्दुलाई जाति मुसलमान निवासी तामलियार तहसील रामसर जिला बाडमेर। दुरस्त (घोषित) करवाने के लिये राजस्व रेकॉर्ड में नाम दुरस्तीकरणका राजस्व आवेदन जरिये अधिवक्ता श्री मदनसिंह भाटी द्वारा दिनांक 09.07.2025 को इस न्यायालय में पेश किया है जिसको दर्ज रजिस्टर इस कार्यालय के पत्रांक /कोर्ट/2025/1087 दिनांक 26.12.2025 द्वारा मोका रिपोर्ट चाही गई। तहसीलदार रामसर के पत्रांक राजस्व/कोर्ट/2026/1203 दिनांक 30.04.2026 द्वारा इस कार्यालय को प्राप्त हुई। जिसमें राजस्व रेकॉर्ड में मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जन आधार कार्ड, राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड के अनुसार प्रार्थी का नाम हमीबुला पुत्र अब्दुलाई, हमीबुला पुत्र अब्दुला व हमीदला पुत्र अब्दुला, हमीदला पुत्र अब्दुला के स्थान पर हमीद पुत्र अब्दुलाई जाति मुसलमान निवासी तामलियार तहसील रामसर जिला बाडमेर इन्द्राज करने की अनुशंसा की गई। एवं प्रार्थी की सयुक्त खातेदारी भूमि में सहखातेदारों के बयान कलमबद्ध किये गये। गवाहानों के

सहायक कलक्टर  
(SDO) रामसर

। प्रार्थी का नाम राजस्व रेकॉर्ड में नाम **हामिद पुत्र अब्दुलाई** दर्ज करवाने की अनुशंसा की गई। अतः पत्रावली का अवलोकन किया, बहस सुनी, तहसीलदार रामसर की रिपोर्ट, जन मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जन आधार कार्ड, राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड व अन्य शैक्षणिक दस्तावेजों एवं सहखातेदारों के बयानों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार रामसर को आदेशित किया जाता है कि मौजा हाजी हाजी खान का तला पटवार मण्डल सेतराऊ तहसील रामसर के खसरा संख्या क्रमशः 288, 405 रकबा क्रमशः 3.6988, 5.3985 हैक्टेयर, एवं तामलियार पटवार मण्डल सेतराऊ के खसरा संख्या क्रमशः 53, 77, 148, 705/78, 78 886/108, 987/108, 988/108, 989/108 रकबा क्रमशः 7.1225, 4.6782, 12.0434, 2.8004, 1.7806, 1.6026, 9.3373, 5.3208, 0.2100 हैक्टेयर में राजस्व रेकॉर्ड में प्रार्थी का नाम **हामिद पुत्र अब्दुलाई** जाति मुसलमान निवासी तामलियार तहसील रामसर जिला बाडमेर। को तदनुसार दुरुस्ती सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है।  
यह आदेश आज दिनांक **06.05.2026** को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर लगाकर जारी किया गया।



(**राम लाल मीणा**)  
उपखण्ड अधिकारी, रामसर  
सहायक कलेक्टर  
(SDO) रामसर